(6)

उत्तराखण्ड शासन

ईमेल आई0डी0– info@ukmc.in
दूरभाष / फैक्स नं0 0135–2781201

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, श हीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून।

पत्रांक 574 दिनांक 16/9/2019

डॉ0 आर0के0जैन, मा0 अध्यक्ष,(मंत्री स्तर) उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 16.09.2019 को पूर्वान्ह 10.30 बजे अल्पसंख्यक कल्याण भवन, श हीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून में आयोग की सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त–

बैठक की उपस्थिति–

1–डॉ0 आर0के0जैन, अध्यक्ष, (मंत्री स्तर) उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
2–श्री इकबाल सिंह, उपाध्यक्ष, (राज्य मंत्री स्तर) उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग ।
3–श्री मज़हर नईम नवाब, उपाध्यक्ष, (राज्य मंत्री स्तर)उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
4– श्री सुरेश चन्द जोशी निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून।
5–श्री रईस अहमद,उपनिदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून।
6– श्री रमेश लाल टम्टा, विधि अधिकारी, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण देहरादून।
7– श्रीमती सीमा जावेद, सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
8– श्री गुलाम मुस्तफा, सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
9– श्री अजगर अली, सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
10– श्री राव काले खाँ, सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
11–जे0एस0रावत, सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग।
12–श्री जगमोहन सोनी, मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा।
13–श्री शौकत अली, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 पिथौरागढ़।
14–श्री डी0एस0राजपूत, जिला शिक्षा अधिकारी चम्पावत।
15–श्री रणजीत सिंह नेगी,मुख्य शिक्षा अधिकारी अधिकारी ,ऊधमसिंहनगर के प्रतिनिधि।
16–श्री आर0सी0 आर्य, मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी।
17–श्री सी0एन0काला, मुख्य शिक्षा अधिकारी रूद्रप्रयाग।
18–श्री एस0पी0सेमवाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
19–श्री भास्कर नन्द पाण्डे, ब्लॉक खण्ड शिक्षा अधिकारी रामनगर नैनीताल।

बैठक में सर्वप्रथम मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी प्रतिभागियों का परिचय करने उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2– बैठक में दिनांक 29.06.2019 की कार्यवाही के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर निराकरण न होने से खेद व्यक्त किया गया। इस सम्बन्ध में पुनः दिनांक 29.06.2019 की बैठक का कार्यवृत्त में दिये गये निर्देश के क्रम में एक माह अन्दर कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है।

3– बैठक में अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति के कम आवेदन पत्र प्राप्त होने की शिकायतों के सम्बन्ध में श्री रमेश लाल टम्टा विधि अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में पंजीकृत शैक्षणिक संस्थाओं का पंजीकरण निरस्त हो चुका है। नये शैक्षणिक संस्थाओं के पंजीकरण के सम्बन्ध में शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा रूचि नहीं ली जा रही है। वर्तमान में 1500 शैक्षणिक संस्थायें ही पंजीकृत हुए है। इस सम्बन्ध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश किया जाता है कि अपने अधीनस्थ जनपद के समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को ऑन–लाईन हेतु पंजीकरण के सम्बन्ध में निर्देशित करे, व 10 दिन के अन्दर अनुपालन से निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड व उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग को अवगत करायें, साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि कोई भी छात्रवृत्ति हेतु पात्र अल्पसंख्यक छात्र–छात्रायें छात्रवृत्ति योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहियें। बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून, चमोली, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, उपस्थित नहीं हुए, इस सम्बन्ध में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा से अपेक्षा है कि अनुपस्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून, चमोली, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मा0 आयोग को अवगत करायेंगे। छात्रवृत्ति की जांच हेतु सचिव, अल्पंसख्यक कल्याण उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 556(1) / XVII–3 / 2017 दिनांक 29,मार्च, 2017 के द्वारा प्रदेश में वितरित अल्पसंख्यकां की वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक की छात्रवृत्ति की जांच के निर्देश दिये गये थे, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, रूद्रप्रयाग, के द्वारा जांच आख्या प्रस्तुत की गयी थी, अन्य जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा श ासन के उक्त पत्र का अनुपालन नहीं किया गया, 15 दिन के अन्दर वर्णित पत्र में दिये गये निर्देशें का भी अनुपालन करते हुए निदेश क, अल्पसंख्यक कल्याण व मा0 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग को अवगत कराया जाय। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून को भी निर्देशित किया जाता है कि अल्पंसख्यक कल्याण से सम्बन्धित समस्त छात्रवृतियों के सम्बन्ध में मुख्य शिक्षा अधिकारियों को अपने स्तर से भी समय–2 पर निर्देश जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही–महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून, निदेशक, अल्पंसख्यक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून व समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड)

4– प्रदेश में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को घोषित करने की प्रायः शिकायते प्राप्त हो रही है। इस सम्बन्ध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थायें घोषित किये जाने हेतु अपने स्तर से तत्काल प्रकरण का

निस्तारण करना सुनिश्चित करे, साथ ही यह भी निर्देश किया जाता है कि अपने–2 जनपद से सम्बन्धित समस्त घोषित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं का निरीक्षण करते हुए यह अवगत करायें कि उन शैक्षणिक संस्थाओं में मानकों के अनुसार अल्पसंख्यक छात्र–छात्रायें अध्ययनरत है, यदि जिन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक छात्र–छात्रायें अध्ययनरत नहीं है, तो उन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को रखे जाने का औचित्य पूर्ण प्रस्ताव यथाशीघ्र एक माह अन्दर मा0 आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड)

5. बैठक में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में संचालित कतिपय मदरसों में मिड–डे मील की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद से सम्बन्धित समस्त मदरसों का समय–2 पर निरीक्षण करवायें, व मदरसों की समस्या भी सुनी जाये, व मदरसों का पठन–पाठन कार्य सुद्धढ़ किया जाय। उसका एक वार्षिक प्रत्यावेदन तैयार कर उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड)

6 बैठक में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रदेश के समस्त जनपदों में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग की ओर से अल्पसंख्यक कल्याण जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाये, जिसमें अल्पसंख्यकों की समस्त योजनाओं की जानकारी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को दी जाये, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारी व ब्लॉक स्तर से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी अल्पंसख्यक कल्याण जनजागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से सूचना दी जायें। बैठक का संचालन सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के द्वारा की जाय। बैठक में उपाध्यक्षगण व सम्बन्धित जिले के सदस्य के द्वारा भी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जायेंगा। सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग कार्यक्रम हेतु पृथक से कार्यालय ज्ञाप जारी करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड व समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी /जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी)

7– अल्पसंख्यक कल्याण भवन में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा पानी की बंद प्लास्टिक बोतल व अन्य प्रकार से पौलीथिन को पूर्ण रूप से प्रतिबंदित करने के निर्देश दिये गये, इसके साथ ही सम्पूर्ण भवन को स्वच्छ एवं साफ रखा जाय,। निदेशक, अल्पसंख्यक

कल्याण को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर से भी निर्देश जारी कराते हुए अनुपालन कराया जाय।

(कार्यवाही– निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून)

8–. पूर्व में भी सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदस्तर, विकासखण्ड स्तर, तहसील एंव थाने आदि स्तर पर उनका सम्मान नहीं किया जाता है,यद्यपि इस सम्बन्ध में पूर्व भी निर्देश जारी किये गये थे। पुनः समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा है कि उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यगण के भ्रमण कार्यक्रम में सम्मान दिये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देश जारी करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,/पुलिस अधीक्षक उत्तराखण्ड)

9– पूर्व में भी निर्देशि त किया गया व पुनः बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश निर्देश दिये गये उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 166/XXVII(7)/2008 दिनांक 29, अप्रैल, 2008 के अनुसार अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया, इस सम्बन्ध में सचिव, अल्पसंख्यक आयोग को निर्देशित किया जाता है कि कोई भी कार्यवाही चाहे व जनता की शिकायत हो, अथवा मा0 अल्पसंख्यक आयोग के (मा0 उपाध्यक्ष/सदस्यगण) सुझाव व अन्य कार्यवाही हेा, बिना अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी प्रकार से सचिव, अल्पसंख्यक आयेाग अपने स्तर से कोर्यवाही नहीं करेंगें। सभी कार्यवाही सचिव, अल्पसंख्यक आयेाग के द्वारा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयेाग की अनुमति के पश्चात् ही कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही– सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयेाग)

10– बैठक में मा0 आयेाग के सभी सदस्यगणों द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में उनका मानदेय रू0 6000/– मासिक है, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश की भांति मानदेय 6000/– के स्थान पर 25000/– बढ़ाये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, पूर्व में भी मा0 आयेाग के द्वारा शासन को पत्र प्रेषित किया गया था। इस सम्बन्ध में भी सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण से अपेक्षा है कि मा0 आयेाग के सदस्यगणों का मासिक मानदेय रू0 6000/– के स्थान पर रू0 25000/– करने की कार्यवाही करते हुए मा0 आयेाग को अवगत करायें।

(कार्यवाही– सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड शासन)

अतः में बैठक में अध्यक्ष महोदय के द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरः अनुपाल कराये जाने की अपेक्षा के साथ सभी प्रतिभागी गणों का सधन्यवाद ज्ञापित करते हु बैठक समाप्त की गयी।

ह0/–
(डॉ0 आर0के0जैन)
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।

पत्रांक 574 /उ0अ0स0/बैठक–कार्यवृत्त/2019–20 दिनांक 16,सितम्बर 2019

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2– निजी सचिव, मा0 अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित
3– सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तराखण्ड।
6– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
7– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
8– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर।
9– बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण।
10– गार्ड फाईल।

(जे0एस0रावत)
सचिव
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।